

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 702] No. 702] नई दिल्ली, **बुधवार, अक्तूबर** 03, 2018/आश्विन 11, 1940

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 03, 2018/ASVINA 11, 1940

पोत परिवहन मंत्रालय

(पीएचआरडी डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 963(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप—धारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 9 अप्रैल, 2018 के सा.का.नि. 354 (अ) में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा श्री सितन्दर पाल सिंह, संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय के स्थान पर श्री आर के अग्रवाल, संयुक्त सचिव (पत्तन) पोत परिवहन मंत्रालय को दीनदयाल पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में 31.03.2020 तक न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एलबी—11013/11/2017—एल] कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

5800 GI/2018 (1)

Ministry of Shipping

(PHRD Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2018

G.S.R. 963(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with subsection (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R.354(E) dated the 9th April, 2018, the Central Government hereby appoints Shri R.K. Agarwal, Joint Secretary (Ports), Ministry of Shipping to be a trustee on the Board of Trustees of Deendayal Port Trust for the period up to 31.03.2020 in place of Shri Satinder Pal Singh, Joint Secretary, Ministry of Shipping.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F.No. LB-11013/11/2017-L] KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 964(अ).— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप—धारा (6) के साथ पिठत उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का उपयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 28 नवम्बर, 2017 के सा.का.नि. 1455 (अ) में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्र सरकार एतद्रद्वारा श्री आर के अग्रवाल, संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय के स्थान पर श्री कैलाशा कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय को जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में 31.03.2019 तक न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/11/2017-एल] कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2018

G.S.R. 964(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with subsection (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R.1455(E) dated the 28th November, 2017, the Central Government hereby appoints Shri Kailash Kumar Aggarwal, Joint Secretary, Ministry of Shipping to be a trustee on the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port Trust for the period up to 31.03.2019 in place of Shri R. K. Agarwal, Joint Secretary, Ministry of Shipping.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F.No. LB-11013/11/2017-L]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 03 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 965(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप—धारा (6) के साथ पित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के सा.का.नि. 373 (अ) में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा श्री एम एम हसीजा, सलाहकार, पोत परिवहन मंत्रालय के स्थान पर श्री अभिषेक चन्द्रा, उप सचिव (सागरमाला) पोत परिवहन मंत्रालय को मुंबई पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में 31.03.2020 तक न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एलबी–11013/11/2017–एल] कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2018

G.S.R. 965(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R.373 (E) dated the 16th April, 2018, the Central Government hereby appoints Shri Abhishek Chandra, Deputy Secretary (Sagarmala), Ministry of Shipping to be trustee on the Board of Trustees of the Mumbai Port Trust for the period up to 31.03.2020 in place of Shri M.M. Hasija, Advisor, Ministry of Shipping

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F.No. LB-11013/11/2017-L] KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 966(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप—धारा (6) के साथ पिठत उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का उपयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत पिरवहन मंत्रालय के दिनांक 25 अप्रैल, 2018 के सा.का.नि. 405 (अ) में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा श्री एम एम हसीजा, सलाहकार, पोत पिरवहन मंत्रालय के स्थान पर श्री परमेशवर बाली, चार्टिंग अधिकारी, पोत परिवहन मंत्रालय को कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में 31.03.2020 तक न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/11/2017-एल] कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2018

G.S.R. 966(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with subsection (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R.405(E) dated the 25th April, 2018, the Central Government hereby appoints Shri Parmeshwar Bali, Charting Officer, Ministry of Shipping to be trustee on the Boards of Trustees of Kolkata Port Trust for the period up to 31.03.2020 in place of Shri M.M. Hasija, Advisor, Ministry of Shipping.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F.No. LB-11013/11/2017-L]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 967(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप—धारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के सा.का.नि. 374 (अ) में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्र सरकार एतदृद्वारा श्री रजत सच्चर, सलाहकार (आर्थिक), पोत परिवहन मंत्रालय के स्थान पर सुश्री शिप्रा भार्मा, निदेशक (पत्तन) पोत परिवहन मंत्रालय को विशाखापट्टणम, पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में 31.03.2020 तक न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एलबी–11013/11/2017–एल] कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2018

G.S.R. 967(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with subsection (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R.374(E) dated the 16th April, 2018, the Central Government hereby appoints Ms. Shipra Sharma, Director (Ports), Ministry of Shipping to be a trustee on the Board of Trustees of the Visakhapatnam Port Trust for the period up to 31.03.2020 in place of Shri Rajat Sachar, Advisor (Eco), Ministry of Shipping.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F.No. LB-11013/11/2017-L]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 968(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप—धारा (6) के साथ पित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 28 नवम्बर, 2017 के सा.का.नि. 1456 (अ) में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्र सरकार एतदृद्वारा सुश्री शिप्रा शर्मा, निदेशक, पोत परिवहन मंत्रालय के स्थान पर श्री रजत सच्चर, सलाहकार (आर्थिक) पोत परिवहन मंत्रालय को नवमंगलूर पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में 31.03.2019 तक न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एलबी—11013/11/2017—एल] कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2018

G.S.R. 968(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R.1456(E) dated the 28th November, 2017, the Central Government hereby appoints Shri Rajat Sachar, Advisor (Eco.), Ministry of Shipping to be a trustee on the Board of Trustees of the New Mangalore Port Trust for the period up to 31.03.2019 in place of Ms. Shipra Sharma, Director, Ministry of Shipping

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F.No. LB-11013/11/2017-L]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 03 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 969(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप—धारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 25 अप्रैल, 2018 के सा.का.नि. 402 (अ) में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा श्री जय शीलन टी, निदेशक, पोत परिवहन मंत्रालय के स्थान पर श्री दशरथ प्रसाद, निदेशक (नौवहन), पोत परिवहन मंत्रालय को कोचीन पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में 31.03.2020 तक न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एलबी—11013/11/2017—एल] कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2018

G.S.R. 969(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R.402(E) dated the 25th April, 2018, the Central Government hereby appoints Shri Dashrath Prasad, Director (Shipping), Ministry of Shipping to be a trustee on the Board of Trustees of the Cochin Port Trust for the period up to 31.03.2020 in place of Shri Jayaseelan T., Director, Ministry of Shipping.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F.No. LB-11013/11/2017-L]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.